**FORM NO III**

**फर्द अहकाम**

**(नियम 26)**

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

• श्योजी पुत्र भैंरू जाति जाट निवासी हरडा की ढाणी ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य । —प्रार्थी

## बनाम

• सूजाराम पुत्र छगन जाति बलाई निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। —अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1956

दर्ज क्रमांक 15 /2025

ऑनलाइन नंबर 2025/ 25.........

वकील प्रार्थी :— रामवतार शमा — वकील अप्रार्थीगण...................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 7/2/2025 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामवतार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/2/25 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अरांई | |
| 28/2/25 | पत्रावली पेश हुई आज...वकील हड़ताल......... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/3/25 को पेश हो। | |
| 28/3/25 | पत्रावली ... इन्तजार तामील रिपोर्ट ... पत्रावली दिनांक 25/4/25 को पेश हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अरांई | |
| 25/4/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. । तामील रिपोर्ट अप्रा प्र. पुनः जारी हो ........ पत्रावली दिनांक 30/5/25 को पेश हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अरांई | |
| 30/5/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. स्वयं चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर रहने। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार............... दिनांक 18/7/25 को पेश हो। | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई जिला ..... प्रकरण संख्या............../.......... उनवान .......................... बनाम ..........................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18/7/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य .../अवकाश पर रहे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ................ । दिनांक 25/9/25 को पेश हो। | |
| 25/9/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 के तामील शुदा समन प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये। वादपत्र तामील प्रतिवादीगण अनु०। वादी जवाब हेतु दिनांक 3-10-25 को पेश हो। | तामील प्राप्त |
| 3/10/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली में प्रतिवादीगण को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 8/10/25 को पेश हो। | |
| 8/10/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 वावजूद तामील अनु०। न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई किन्तु प्रतिवादीगण अनु०। प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु ... स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकित में शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |

WD

उपखण्ड अधिकारी
अराई ( अजमेर )

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2025 उनवान श्योजी वगैरह बनाम सूजाराम वगैरहः

1. श्योजी पुत्र भैरू जाति जाट
2. राजू पुत्र भैरू जाति जाट
3. रामराज पुत्र भैरू जाति जाट
4. भंवरलाल पुत्र भैरू जाति जाट

निवासीगण हरडा की ढाणी तन ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. सूजाराम पुत्र छगन जाति बलाई
2. रामलाल पुत्र पान्या जाति बलाई
3. श्रवण पुत्र सुवा जाति जाट
4. रामकिशन पुत्र सुवा जाति जाट
   निवासीगण हरडा की ढाणी तन ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर
5. रंगराज पुत्र छीतर जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक
6. जगदीश पुत्र हीरा जाति जाट
7. बालू पुत्र हीरा जाति जाट
   निवासी तन ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर
8. रामधन पुत्र घीसा जाट
9. रामरतन पुत्र घीसा जाट
   निवासी ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर
10. रामेश्वर पुत्र रिद्धकरण जाट
11. रंगलाल पुत्र रिद्धकरण जाट
    निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई
12. छीतर पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी हरडा की ढाणी
13. स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया शाखा ढसूक जिला अजमेर
    प्रबन्धक महोदय शाखा ढसूक जिला अजमेर
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अराई जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 8/10/25

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री रामावतार खेडा एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 12.7.2021को दर्ज रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया प्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या पुराना 221 व नया 231 ख0नं0 1125/979 रकबा 0.4126 हैक्टेयर व ख0नं0न733 रकबा 0.1537 हैक्टेयर ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक भू0अ0नि0 अराई तहसील अराई में स्थित है । प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे है । अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की ढसूक में स्थित भूमि प्रार्थीगण की खतेदारी कृषि भूमि नं0 1125/979 के पूर्व में अप्रार्थी गण नं0 1 व 2 की जमीन है एवं पश्चिम में प्रतिवादी नं0 3 व 4 की भूमि एवं उत्तर में अप्रार्थी न0 5 की आराजी एवं दक्षिण में अप्रार्थी नं0 6 व 7 की आराजी है । इसी प्रकार से प्रार्थीगण की आराजी नं0 733 के पूर्व में प्रतिवादी नं0 8 व 9 की आराजी है दक्षिण में सिवायचक एवं पूर्व में प्रतिवादी नं0 10,11, 12 की आराजी है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सीमा विवाद चलता रहता है । अप्रार्थी गण 1 से 12 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि में हस्तक्षेप करते रहते है । तथा कृषि भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है उनकी कृषि भूमि की सीमाओं के संबंध में विवाद करते रहते है ।

प्रार्थीगण के खेत की सीमाओं को अप्रार्थीगण जुताई हंकाई करते समय तोड फोड़ करते रहते है तथा मौके पर विवाद उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थीगण व उनके परिजन प्रार्थीगण से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहते है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के चर्तदिशा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य

पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण में कोई विवाद पैदा नहीं हो। वाद कारण तब तब उत्पन्न होता है जब जब अप्रार्थीगण हंकाई जुताई के वक्त सीमाओं को तोड़ फोड़ कर देते है। वाद कारण निरन्तर जारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 व 2 में वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि खाता संख्या पुराना 221 व नया 231 ख0नं0 1125/979 रकबा 0.4126 हैक्टेयर व ख0नं0न733 रकबा 0.1537 हैक्टेयर ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक भू0अ0नि0 अराई तहसील अराई की चर्तुसीमा की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दिनांक 7.2.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा सम्मन नोटिस जारी किये गये। दिनांक 24.9.2025 को तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुए । बावजूद तामिली के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 अनुपस्थित रहने पर उनकेविरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि भूमि खाता संख्या पुराना 221 व नया 231 ख0नं0 1125/979 रकबा 0.4126 हैक्टेयर व ख0नं0न733 रकबा 0.1537 हैक्टेयर ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक भू0अ0नि0 अराई तहसील अराई की चर्तुसीमा की का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/—रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/— रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3/11/25..........को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

(8146 चउ, 31/07/2025) च्वं 1.